भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1684

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

पीएम-एसवाईएम योजना

1684. श्री एस.सी उदासी:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) शुरु की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, लातूर, विशेषकर सतारा और सोलापुर जिलों के श्रमिक भी उक्त योजना से लाभान्वित हुए हैं और यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को पेंशन प्रदान करने के लिए पीएम-एसवाईएम कब से शुरू की गई थी और उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या थी;

(घ) क्या लाभार्थियों के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, यदि हां, तो उक्त योजना के प्रारंभ से लेकर आज तक इसके अंतर्गत पंजीकृत और लाभान्वित पात्र लाभार्थियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2019 से 2023 तक वर्ष और जिला-वार लाभार्थियों को देय राशि सहित अनुमोदित लंबित आवेदकों की संख्या कितनी है और महाराष्ट्र और कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) की शुरुआत की थी, ताकि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3000/- रुपये का मासिक पेंशन प्रदान किया जा सके। योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

I. एक असंगठित कामगार हो;
II. प्रवेश आयु 18-40 वर्ष के बीच हो;
III. मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम हो;

उपरोक्त के अलावा, उस व्यक्ति विशेष को किसी संगठित क्षेत्र (ईपीएफ/एनपीएस/ईएसआईसी की सदस्यता) में शामिल न हो और वह आयकर दाता न हो। महाराष्ट्र, कर्नाटक, लातूर, सतारा और सोलापुर से संबंधित पंजीकृत कामगारों का विवरण अनुबंध-। के अनुसार है। इसकी स्थापना के बाद से ही उक्त योजना के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार पंजीकृत लाभार्थी अनुबंध-॥ के अनुसार हैं।

पीएम-एसवाईएस के तहत नामांकित किसी भी लाभार्थी ने पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

** *****

<u>अनुबंध-I</u>

'पीएम-एसवाईएम योजना' के संबंध में श्री एस.सी उदासी, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे और श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1684 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य / जिला	पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या `
1.	महाराष्ट्र	614141
2.	कर्नाटक	130033
3.	लातूर जिला	22925
4.	सतारा जिला	36004
5.	सोलापुर जिला	23260

अनुबंध-II

'पीएम-एसवाईएम योजना' के संबंध में श्री एस.सी उदासी, श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे और श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 1684 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1033	822	277	175	32	2339
2	आंध्र प्रदेश	37444	107248	6201	1568	17801	170262
3	अरूणाचल प्रदेश	810	1589	77	203	191	2870
4	असम	9634	7563	3876	6343	10233	37649
5	बिहार	104887	74782	16924	9472	10459	216524
6	चंडीगढ़	974	3738	361	90	11	5174
7	छत्तीसगढ	92631	111930	3857	5011	15989	229418
8	दादरा और नागर हवेली एवं दमन व दीव	953	575	37	20	42	1627
9	दिल्ली	4791	2711	608	1575	562	10247
10	गोवा	212	728	35	27	1025	2027
11	गुजरात	335279	31407	2050	2432	16119	387287
12	हरियाणा	562199	314740	26049	10216	3926	917130
13	हिमाचल प्रदेश	14355	26033	1362	2643	3163	47556
14	जम्मू और कश्मीर	36735	27056	6643	3138	659	74231
15	झारखंड	97735	29266	2326	1642	4813	135782
16	कर्नाटक	39351	51925	8769	16267	13721	130033
17	केरल	7027	2398	1136	1893	3013	15467
18	लद्दाख	889	563	10	7	4	1473
19	लक्षद्वीप	21	0	0	0	0	21
20	मध्य प्रदेश	80101	39089	5139	7509	45621	177459
21	महाराष्ट्र	527226	61984	9541	6980	8410	614141
22	मणिपुर	2350	1310	237	335	1463	5695
23	मेघालय	916	1162	811	410	2027	5326
24	मिजोरम	436	120	58	60	474	1148
25	नागालैंड	1432	2547	739	138	90	4946
26	ओडिशा	104847	50621	9107	7128	12227	183930
27	पुदुचेरी	851	322	82	72	1054	2381
28	पंजाब	21915	9891	1718	1575	23380	58479
29	राजस्थान	61907	216675	3303	2582	21247	305714
30	सिक्किम	61	43	21	17	166	308
31	तमिलनाडु	40730	14016	2381	2317	6355	65799
32	तेलंगाना	19438	18455	2612	1715	6531	48751
33	त्रिपुरा	13680	12184	3113	1337	1350	31664
34	उत्तर प्रदेश	466310	349720	38701	13361	19668	887760
35	उत्तराखंड	18629	14622	1291	493	3747	38782
36	पश्चिम बंगाल	35920	24055	12559	20178	13043	105755
	कुल	**27,43,709**	**16,11,890**	**1,72,011**	**1,28,929**	**2,68,616**	**49,25,155**